राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1967 / 2014 / अजमेर.

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, आबूरोड़, वृत–सिरोही. .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स प्रकाश एण्ड कम्पनी, नया बाजार, अजमेर. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री जमील जई,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री ओ. पी. माहेश्वरी,
अधिकृत प्रतिनिधि .....अपीलार्थी की ओर से.

दिनांक : 11 / 05 / 2017

निर्णय

1. यह अपील राजस्व द्वारा अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, अजमेर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा गया है) के अपील संख्या 74 / 13–14 / वैट / अजमेर में पारित किये गये आदेश दिनांक 16.06.2014 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, आबूरोड़, (जिसे आगे **'सक्षम अधिकारी'** कहा जायेगा) के वेट अधिनियम की धारा 76(6) के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 14.06.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया गया है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गयी एवं रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया।

3. प्रकरण में जांच अधिकारी द्वारा राज्य के बाहर गुजरात से सेरेमिक टाईल्स के आयात पर घोषणा पत्र वैट–47 की जांच किये जाने पर यह पाया गया था कि वाहन में अलग–अलग सात बिलों से जिस माल का आयात किया गया था उसमें से दो बिलों का इंद्राज वेट–47 में नहीं पाये जाने पर इसे वेट अधिनियम की धारा 76(2) एवं नियम 53 की अवहेलना मानते हुए नोटिस जारी किया जाने पर फर्म की ओर से नया वैट–47 प्रस्तुत कर दिया गया था परन्तु इसे पश्चातवर्ती सोच मानते हुहए शास्ति रूपये 12,337 / – आरोपित की गयी थी जिसके विरूद्ध अपील प्रस्तुत की जाने पर अपीलीय अधिकारी ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त **(2013) 35 टैक्स अपडेट पार्ट–2 पेज 49 मैसर्स सेरा टैक इण्डिया बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,**

लगातार.....2

भिवाड़ी (राज.); (2011) 41 वी.एस.टी. 25 (राज.) सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, भिवाड़ी बनाम लॉयड इलेक्ट्रिक एण्ड इंजीनियरिंग लिमिटेड; एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय **(2002) 1 एस.सी.सी. 279 स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम डी. पी. मैटल्स** के न्यायिक निर्णयों के आलोक में प्रथम प्रदत्त अवसर पर वैट–47 प्रस्तुत कर दिये जाने से आरोपित शास्ति रूपये 12,337/– को अपास्त किया गया है। अपीलीय अधिकारी के आदेश एवं पत्रावली के अवलोकन पर यह पाया गया कि व्यवसायी द्वारा दो बिलों का इंद्राज गलती से वैट–47 में नहीं किया गया था जबकि 5 बिलों का इंद्राज किया हुआ था एवं बिल्टी भी बनी हुई थी तथा बिल भी वक्त जांच प्रस्तुत कर दिये गये थे। ऐसी स्थिति में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय की पालना में किया गया अपीलीय आदेश विधिसम्मत होने से इसकी पुष्टि की जाती है एवं राजस्व की अपील अस्वीकार की जाती है।

4. निर्णय सुनाया गया।

11/5/2017

(के. एल. जैन)
सदस्य